न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–09/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक–13.01.2019

उनवान

सेन्ट सोल्जर शिक्षा समिति जरिये सचिव बाबूलाल पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति–ब्राह्मण निवासी–तालकटोरा, सिविल लाईन रोड़ , टोंक

(प्रार्थी)

बनाम

1.तहसीलदार, तहसील–पीपलू

(अप्रार्थीगण कुल कस–03)

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 131,136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः–05.07.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षिप्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक आवेदन बाबत नक्शा सीट दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,136 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 2222/2 रकबा 03 बीघा, खसरा न0 2235/2 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम–सौहेला , पटवार हल्का–सोहेला, तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार हैं। प्रार्थी के उक्त खसरा न0 के आगे खसरा न0 2225, 2257 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हैं तथा प्रार्थी की भूमि खसरा न0 2235/2 में से होकर किसी प्रकार का रिकॉर्डेड गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं हैं। केवल डोटेड अंकित हैं तथा प्रार्थी की भूमि खसरा न0 2222/2 रकबा 03 बीघा की पश्चिमी मेंड़ से होकर उपरोक्त रास्ता मौके पर जा रहा हैं। इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि खसरा न0 2222/2 रकबा 03 बीघा में से लगभग 10 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में बिना प्रतिफल देने के लिए तैयार हैं। इस कारण प्रार्थी की भूमि खसरा न0 2235/2 में गलत रूप से अंकित डोटेड लाईन को निरस्त किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न0 2222/2 रकबा 03 बीघा में से प्रस्तावित नक्शा शीट के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिपक्षीगण की गई प्रतिवादी की से पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब आवेदन एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश की जवाब आवेदन में पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि राजस्व नक्शा में ख0न0 2235/2 में से होकर रास्ते के लिए डोटेड लाईन बनी हुई हैं तथा ख0न0 2222/2 के पश्चिमी हिस्से में होकर 20 फिट रास्ता मौके पर बना हुआ हैं जो आगे जाकर रास्ते में मिल जाता हैं।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 2222/2 रकबा 03 बीघा, खसरा न0 2235/2 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम–सौहेला , पटवार हल्का–सोहेला, तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार हैं। प्रार्थी के उक्त खसरा न0 के आगे खसरा न0 2225, 2257 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हैं तथा प्रार्थी की भूमि खसरा न0 2235/2 में से होकर किसी प्रकार का रिकॉर्डेड गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं हैं। केवल डोटेड अंकित हैं तथा प्रार्थी की भूमि खसरा न0 2222/2 रकबा 03 बीघा की पश्चिमी मेंड़ से होकर उपरोक्त रास्ता मौके पर जा रहा हैं। इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि खसरा न0 2222/2 रकबा 03 बीघा में से लगभग 10 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में बिना प्रतिफल देने के लिए तैयार हैं। प्रार्थी बिना प्रतिफल के आने जाने के लिए पुख्ता रास्ता देने के लिए तैयार हैं। जिससे की प्रार्थी की भूमि के टुकडे नहीं होवें। इस कारण प्रार्थी की भूमि खसरा न0 2235/2 में गलत रूप से अंकित डोटेड लाईन को निरस्त किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न0 2222/2 रकबा 03 बीघा में से प्रस्तावित नक्शा शीट के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जावें।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी प्रस्तुत पत्रावली में उपल्बध दस्तावेजात व आवेदन, जवाब आवेदन तथा रिपोर्ट पटवारी का गहनता से अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर ख0न0 2235/2 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा में डोटेड लाईन अंकित हैं। जबकि मौके पर खसरा न0 2222/2 के पश्चिम में से होकर 20 फिट चोडा रास्ता बना हुआ है। जिसको प्रार्थी रास्ते के रूप में बिना प्रतिफल के समर्पण को तैयार हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा न0 2235/2 में अंकित डोटेड लाईन को निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की भूमि खसरा न0 2235/2 में अंकित डोटेड लाईन को निरस्त किया जाकर प्रस्तावित नक्शे अनुसार भूमि खसरा न0 2222/2 के पश्चिम में जहॉ रास्ता मौजूद हैं। वहॉ पर रास्तें की तरमीम की जावें। अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीपलू को निर्णय अनुसार पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

आज दिनांक 05.07.2019 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू